

## शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-5/2018/ए-1-186 /दस-2018-3 (2)/87

प्रेषक,

मुकेश मित्तल

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

2-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा)अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक: 27 फरवरी, 2018

विषय:- दिनांक 28 फरवरी, 2018 को वेतन का भुगतान करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 मार्च, 2018 को होलिका दहन व 02 मार्च, 2018 को होली के पर्व का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-97 के नीचे अंकित टिप्पणी-1 में दी गयी व्यवस्थानुसार समस्त राज्य कर्मचारियों व सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को माह फरवरी, 2018 के वेतन का भुगतान दिनांक 28 फरवरी, 2018 को प्रत्येक दशा में किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2- कृपया इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

मुकेश मित्तल

सचिव, वित्त

संख्या-5/2018/ए-1-186(1)/दस-2018-3(2)/87, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।

---2-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ।
- (7) करेन्सी ऑफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, इश्यू सेक्शन, कानपुर।
- (8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
राजीव श्रीवास्तव  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।